

फर्द अहकाम




मोहन कुमारी बनाम सेइल देव

नाम न्यायालय

केस संख्या

69/2014

(रिव्यु प्रा. पर)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19 <sup>11</sup> / <sub>20</sub>	कॉवैड-19 महामारी के दिनांक 09-4-20 से जनरल पेरी की जान से पत्रावली प्राप्त हुई। वकुलाप फरीकेन उपा. P.O. को आप कि आपका पत्र है अतः पत्रावली पुर्नानुसार कोर्ट लहम दिनांक 22-12-20 को पत्र है। <div style="text-align: right;">                       न्यायालय कलक्टर                      एवं जिला मजिस्ट्रेट                      जयपुर                 </div>
	22 <sup>12</sup> / <sub>20</sub>	पत्रावली पत्र है। वकुलाप फरीकेन उपा. लहम हेतु अकार बाध है अतः पत्रावली को लहम दिनांक 15-2-21 को पत्र है। <div style="text-align: right;">                       जिला कलक्टर                      जयपुर                 </div>
<p>Non-Resident                      At                      State Central Bank                      15/2/21</p>	15-2-21	पत्रावली पत्र है। आपकी वउत्के वकील उपस्थित नहीं है केरु के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रकी वउत्के वकील को बार बार आवाज लगाई, किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः रिव्यु अवकाश पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैसवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कम्प्लर से कम है। <div style="text-align: right;">                       जिला मजिस्ट्रेट                      (कलक्टर) जयपुर                 </div>